कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–समन्वय) सतपुड़ा भवन म.प्र.भोपाल

क्रमांक/समन्वय/व्यवस्था/ 3112 भोपाल, दिनांक 10/09/08

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), मध्य वृत्त, जबलपुर

समस्त वन संरक्षक, क्षेत्रीय/ अनुसंधान एवं विस्तार/ कार्य आयोजना/ क्षेत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यान

प्राचार्य, वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट

समस्त वनमण्डल अधिकारी, क्षेत्रीय/ उत्पादन

विक्रय अधिकारी, विक्रय डिपो, नई दिल्ली

विषयः– उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन अधिकारी/कर्मचारी को पुरस्कृत करने हेतु प्रस्ताव (वर्ष 2007–08)

संदर्भः– म.प्र. शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/4689/3293/2007/10–2 दिनांक 10.12.2007

उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन कर्मचारियों/अधिकारियों को पुरस्कृत किये जाने बाबत योजना शासन द्वारा बनाई गई है,जो संदर्भित पत्र द्वारा जारी की गई है। इस संबंध में पूर्व में इस कार्यालय के ज्ञाप क्रमांक सं.व.प्र./व.वि.अ./2323 दिनांक 18.12.07 द्वारा आपको अवगत कराया गया है। आपके द्वारा प्रेषित किये जाने वाले प्रस्तावों में वन समितियों व समितियों के सदस्यों को पुरस्कृत करने के प्रस्ताव संयुक्त वन प्रबंधन कक्ष को प्रेषित किये जाने थे तथा कर्मचारी/अधिकारियों से संबंधित प्रस्ताव समन्वय कक्ष को प्रेषित किये जाने थे। अधिकारियों/ कर्मचारियों को वर्ष 2007–08 के लिये पुरस्कृत किये जाने के कोई प्रस्ताव समन्वय–कक्ष में अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। अतएव वन कर्मचारी/अधिकारियों को पुरस्कृत करने हेतु शासन की योजना पुनः सुलभ संदर्भ हेतु आपकी ओर भेजी जा रही है। स्वीकृत योजना के अनुसार वृत्त स्तर के पुरस्कारों हेतु समस्त कार्यवाही संबंधित क्षेत्रीय वन संरक्षक द्वारा की जावेगी। राज्य स्तर के पुरस्कार बाबत प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय – समन्वय कक्ष की ओर प्रेषित किए जाएंगे। प्रस्ताव के संबंध में निम्न निर्देश दिए जाते हैं –

(1) पुरस्कार योजना के संबंध में जानकारी समस्त कर्मचारियों/ अधिकारियों को दी जावे।.

(2) पुरस्कार योजना में वन वृत्त के क्षेत्रांतर्गत समस्त इकाईयों जैसे राष्ट्रीय उद्यान/ अभयारण्य/ अनुसंधान विस्तार/ कार्य आयोजना/ वन विद्यालय/ उत्पादन एवं क्षेत्रीय वनमंडल इत्यादि में पदस्थ कर्मचारियों/ अधिकारियों को सम्मिलित किया जाना है।

(3) प्रत्येक वृत्त में एक वन रक्षक एवं एक वनपाल/ उपवनक्षेत्रपाल को स्वर्ण पदक दिया जाना है। इसके लिये समस्त इच्छुक कर्मचारियों से दिनांक 30.09.2008 तक आवेदन प्राप्त कर 15.10.2008 तक चयन की कार्यवाही समस्त वन संरक्षक, जो कि इस पुरस्कार हेतु चयन समिति के अध्यक्ष हैं, पूर्ण करावेंगे। कृपया शासन द्वारा स्वीकृत योजना में दी गई शर्तो का पालन सुनिश्चित करें तथा चयनित नामों हेतु वृत्त प्रभारी अ.प्र.मु.व.सं./ मु.व.स. से अनुमोदन भी प्राप्त किया जावे। स्वर्ण पदक हेतु चयनित वन रक्षक एवं वनपाल/ उप वनक्षेत्रपाल के नामों एवं पदनामों की जानकारी अभिलेख हेतु इस कार्यालय को भी भेजी जावे।

(4) वनक्षेत्रपाल एवं सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों के लिये राज्य स्तर पर पांच जोन चिन्हांकित किये गये हैं, तथा प्रत्येक जोन में एक–एक स्वर्ण पदक दिये जाने हैं। उप वन संरक्षक स्तर पर पूरे राज्य में मात्र एक स्वर्ण

पदक दिया जाना है। इन पुरस्कारों हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) की अध्यक्षता में गठित समिति आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर चयन कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय का अनुमोदन प्राप्त करेगी। अतः इसके लिये वनक्षेत्रपाल, उपवनमंडल अधिकारी, तथा उप वन संरक्षक स्तर के इच्छुक अधिकारी उपलब्धियों के विवरण के साथ प्रस्ताव अपने नियंत्रणकर्ता अधिकारी के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय वन संरक्षक के कार्यालय में दिनांक 30.9.2008 तक प्रेषित करेंगे। समस्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी उन्हें प्राप्त प्रस्तावों में वर्णित तथ्यों का परीक्षण कर उनके संबंध में तथ्यात्मक टीप अंकित कर प्रस्ताव संबंधित क्षेत्रीय वन संरक्षक को दिनांक 30.9.2008 तक उपलब्ध करावेंगे। प्रस्ताव भेजने हेतु प्रपत्र संलग्न है।

(5) स्वर्ण पदक हेतु इच्छुक अधिकारी अपना नामांकन स्वयं द्वारा किये गये नवाचार, विशिष्ट कार्य, विशिष्ट उपलब्धि, अदम्य साहस अथवा दक्षता वृद्धि, इत्यादि जिस भी क्षेत्र में उल्लेखनीय कदम उन्होंने उठाये हैं, उसके विवरण सहित अपने निकटतम नियंत्रणकर्ता अधिकारी के माध्यम से भेजेंगे। नियंत्रणकर्ता अधिकारी इस प्रकार प्रस्ताव भेजने वाले अधिकारी की उपलब्धियों के संबंध में तथ्याधारित टीप देंगे, जिससे कि तथ्यों की पुष्टि की जा सके।

(6) क्षेत्रीय वन संरक्षक उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रस्ताव राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु गठित समिति के सदस्य–सचिव, मुख्य वन संरक्षक (समन्वय) की ओर सीधे दिनांक 4.10.2008 तक अग्रेषित करेंगे। यदि संबंधित अधिकारी के लिए क्षेत्रीय वन संरक्षक किसी स्तर पर नियंत्रणकर्ता अधिकारी भी हैं तो वे ऐसे प्रस्तावों पर तथ्यात्मक टीप अंकित करेंगे तथा अन्य प्रस्तावों को वे केवल अग्रेषित करेंगे।

(7) अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में वनक्षेत्रपाल स्तर के अधिकारियों की जानकारी कृपया प्रस्ताव के साथ ही प्रेषित की जावे। सहायक वन संरक्षक एवं उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों से संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत जानकारी, तथा समस्त स्तर के अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन के विवरण मुख्यालय से लिये जावेंगे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

10/9/2008

(डॉ0 शिवेन्दु श्रीवास्तव)
मुख्य वन संरक्षक (समन्वय)

पृ.क्रमांक/समन्वय/व्यवस्था/ 3113

भोपाल, दिनांक 10/09/08

1. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य लघु वन उपज (व्यापार एवं विकास) संघ मर्यादित, भोपाल
2. संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर
3. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक, मुख्यालय
4. मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना, भोपाल/ इन्दौर/ जबलपुर
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म0 प्र0 ईको पर्यटन विकास बोर्ड

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक (समन्वय)

वन अधिकारी/ कर्मचारी को उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार योजना

नामांकन हेतु प्रस्ताव

(प्रपत्र – 1)

1. वर्ष जिस हेतु पदक प्रस्तावित है:–

2. नाम:–

3. पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना:–

4. उन कार्य/ कार्यो का विवरण जिसके/ जिनके आधार पर पदक प्रस्तावित है।

नामांकन करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर [1]

नाम

दिनांक : – **पदनाम**

नियंत्रणकर्ता अधिकारी/ वन संरक्षक की तथ्यात्मक टीप : –

---

[1] अधिकारी यदि स्वयं का नाम प्रस्तावित करते हैं तो यहां अपना नाम व पदनाम अंकित करेंगे। यदि नामांकन किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जा रहा है तो नामांकन प्रस्तावित करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम दिया जाएगा।

प्रपत्र–2

नामांकित कर्मचारी/ अधिकारी के संबंध में वैयक्तिक/ अनुशासनिक जानकारी

(अधिकारी/ कर्मचारी के नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा भरा जाए)

"अ" – वैयक्तिक जानकारी

1. कर्मचारी/ अधिकारी का नाम :–

2. जन्मतिथि :–

3. पदनामः–

4. वर्तमान पदस्थिति का विवरण :–

   क. कार्यालय का नाम जहां पदस्थ हैः–

   ख. पद जिस पद पदस्थ हैः–

   ग. पदस्थिति अवधिः–

"ब" – अनुशासनिक कार्यवाही

विभागीय जांच लोकायुक्त/ आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो की जांच आदि का विवरण

1. विगत पांच वर्षो की अवधि में अधिकरी/ कर्मचारी के विरूद्ध

   1. प्रस्तावित विभागीय जांच का विवरणः–

   2. अनुशासनिक कार्यवाहीः–

2. लोकायुक्त/ आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा पंजीबद्ध प्रकरण का ब्यौराः–

हस्ताक्षर

नियंत्रणकर्ता अधिकारी/ वन संरक्षक का नाम व पदनाम

वन अधिकारी/कर्मचारी को उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार योजना

भूमिका :– वन कर्मचारियों द्वारा वन एवं वन्यप्राणियों की रक्षा एवं संवर्धन हेतु किये जा रहे कार्यों में उनका मनोबल बढ़ाने एवं अपने कर्तव्यों के पालन में स्फूर्ति एवं उत्साह बनाये रखने हेतु कर्मठ एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले अमले को पुरस्कृत किये जाने हेतु यह योजना बनायी गयी है।

आधार :– वन कर्मचारियों द्वारा वानिकी कार्यों में पिछले पांच वर्षों में किये गये नवाचार, विशिष्ट योगदान, टीमवर्क, अदम्य साहस एवं कार्य दक्षता में वृद्धि आदि बिन्दुओं पर आंकलन किया जावेगा।

आंकलन :– चयन समिति द्वारा कार्यों के आंकलन हेतु निम्नानुसार मापदण्डों के लिए 1 से 5 तक अंक दिये जायेंगे :–

मापदण्ड				
नवाचार/ विशिष्टता (Innovativeness)	अति विशिष्ट उपलब्धि (Extra ordinary achievement)	अदम्य साहस (Exemplary Courage)	टीम वर्क (Team work)	गोपनीय प्रतिवेदन (Confidential Report)

पुरस्कार :– सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को राज्य स्तर एवं वृत्त स्तर पर निम्नानुसार पुरूस्कार दिया जायेगा :–

(1) राज्य स्तर पर :–

क. वन क्षेत्रपाल स्तर के अधिकारियों को प्रत्येक जोन में एक स्वर्ण पदक

जोन–1 भोपाल, बैतूल एवं होशंगाबाद वन वृत्त

जोन–2 ग्वालियर एवं शिवपुरी, वन वृत्त

जोन–3 जबलपुर, सिवनी, छिन्दवाड़ा एवं बालाघाट वन वृत्त

जोन–4 इंदौर, उज्जैन एवं खण्डवा वन वृत्त

जोन–5 रीवा, शहड़ोल, छतरपुर एवं सागर वन वृत्त

ख. सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों को प्रत्येक जोन में एक स्वर्ण पदक

जोन–1 भोपाल, बैतूल एवं होशंगाबाद वन वृत्त

जोन–2 ग्वालियर एवं शिवपुरी, वन वृत्त

जोन–3 जबलपुर, सिवनी, छिन्दवाड़ा एवं बालाघाट वन वृत्त

जोन–4 इंदौर, उज्जैन एवं खण्डवा वन वृत्त

जोन–5 रीवा, शहड़ोल, छतरपुर एवं सागर वन वृत्त

ग. उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी को संपूर्ण राज्य में एक स्वर्ण पदक

(2) वृत्त स्तर पर :–

क. उत्कृष्ठ कार्य करने वाले एक वनरक्षक हेतु स्वर्ण पदक

ख. उत्कृष्ठ कार्य करने वाले एक वनपाल/उप वनक्षेत्रपाल हेतु स्वर्ण पदक

पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारी अगले पांच वर्ष तक पुनः आवेदन देने के पात्र नहीं होंगे। जिन कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच या दण्ड प्रस्तावित अथवा प्रचलित हो उन्हें भी पुरस्कार नहीं दिया जावेगा।

चयन समिति :–

राज्य स्तर पुरस्कार हेतु :– राज्य स्तर पर पुरस्कार चयन हेतु निम्नानुसार गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाकर उत्कृष्ठ अधिकारियों का चयन किया जाएगा :–

1.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)	–	अध्यक्ष
2.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)	–	सदस्य
3.	मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन)	–	सदस्य
4.	मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)	–	सदस्य
5.	मुख्य वन संरक्षक (समन्वय)	–	सदस्य सचिव

वृत्त स्तर के पुरस्कार हेतु :– वृत्त स्तर पर पुरस्कार चयन हेतु निम्नानुसार गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाकर उत्कृष्ठ अधिकारियों का चयन किया जावेगा।

1.	वन संरक्षक	–	अध्यक्ष
2.	संचालक राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य	–	सदस्य
3.	वृत्त के समस्त क्षेत्रीय वनण्मडलाधिकारी	–	सदस्य
4.	वृत्त मुख्यालय के क्षेत्रीय वन मण्डलाधिकारी	–	सदस्य सचिव

प्रक्रिया :–

राज्य स्तर हेतु :– इच्छुक अधिकारी अपना आवेदन वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन वृत्त के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक, समन्वय को प्रेषित करेंगे। मुख्य वन संरक्षक, समन्वय द्वारा प्राप्त आवेदनों को समिति के समक्ष परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जावेगा। समिति द्वारा उत्कृष्ठ अधिकारी का चयन कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

वृत्त स्तर हेतु :– इच्छुक अधिकारी/कर्मचारी आवेदन वनमण्डलाधिकारी के माध्यम से वृत्त मुख्यालय के क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी (सदस्य सचिव) को प्रेषित करेंगे जो उनके द्वारा चयन समिति के समक्ष परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। चयन समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों पर परीक्षण उपरांत उत्कृष्ठ कर्मचारियों का चयन किया जावेगा एवं इसका अनुमोदन वृत्त के प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक से प्राप्त किया जायेगा।

––––00––––